जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः– ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2025/डी–1775 दिनांकः– 08/10/2025

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

मैसर्स लालपुरिया इन्फ्रा (साझेदार फर्म),
जरिये साझेदार श्री शिव कुमार लालपुरिया,
पुत्र श्री आनन्दी लालपुरिया,
कार्यालय–5, राजभवन रोड़, सिविल लाईन्स,
जयपुर।

विषयः– फ्लैट नम्बर ए, खसरा नम्बर 185, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 287वीं बैठक दिनांक 18.03.2024 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती हैः–

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	3007.73 वर्गमीटर	
2.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौडाई	100 फीट एवं 100 फीट	
3.	लीजडीड जारी दिनांक	14.09.2010	**भू–उपयोगः–** आवासीय प्रयोजनार्थ
4.	पुर्नगठित/एकल पट्टा/उप विभाजन	एकल पट्टा	
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	आवासीय फ्लैट्स प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदनबाबत्।	
6.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री अशोक मिश्रा, सी.ओ.ए./91/13916	
7.	वार्ड नम्बर	71	
8.	पिन कोड नम्बर	302020	

अनुमोदित मानदण्डः–

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात **दिनांक 06.10.2032 तक** प्रभावी होगी।			
2.	सैटबैक	सामने–I (30 mtr. ROAD)	पार्श्व–I (30 mtr. ROAD)	पार्श्व–II	पीछे
		12.19 मी.	12.19 मी.	9.14 मी.	9.14 मी.
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	17,666.70 व.मी.			
4.	बी.ए.आर.	4.37 (13,155.23 व.मी.)			
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	35.78 प्रतिशत			
6.	ऊँचाई	0.61 मी. (प्लिन्थ) + 5.03 मी. (स्टिल्ट)+36.48 मी. (प्रथम से 12 तल) = 42.12 मी. + 7.75 मी. (ममटी/मशीन रूम सहित) कुल 49.87 मी.			
7.	पार्किंग	कार		स्कूटर	बस	कुल ईसीयू
		सरफेस	मैकेनिकल			
		125	09	95	–	165.67 ईसीयू

तथ्यः–

1.	प्रथम अनुमोदन/संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	287वीं बैठक दिनांक 18.03.2024

अनापत्ति प्रमाण पत्रः–

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 व.मी. से कम है। अतः लागू नहीं है।

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.10.08 10:44:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17859211
eSign 1.0

3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	एयरपोर्ट एन.ओ.सी. दिनांक 04.10.2023 के अनुसार 80 मी. ऊँचाई अनुज्ञेय है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 03.10.2031 तक है। साईट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार हैः–	
		26 50.11 23 N	75 43 36.09 E
		26 50 13.98 N	75 43 36.41 E

सामान्य शर्तेः–

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–08, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
3. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
4. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
5. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित/निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओ यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाऐं, वातानुकूल सेवाऐं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
7. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. परियोजना में भूखण्ड़ के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्विकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयत्र), 10.11.2.5 व 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेंगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2025.10.08 10:44:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No : 17859211

eSign 1.0

12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तडित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
15. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।
17. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।
18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
23. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
24. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।

विशेष शर्तें:–

1. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात **दिनांक 06.10.2032 तक** प्रभावी होगी।
2. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार चार उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही है:–

बैंक का नाम	चैक संख्या	राशि	किश्त	दिनांक
ICICI Bank	000807	44,28,035/–	द्वितीय	26.12.2025
	000808	44,28,035/–	तृतीय	26.06.2026
	000809	44,28,035/–	चतुर्थ	26.12.2026
	000810	44,28,035/–	पंचम	26.06.2027

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवायें जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी

Signature valid
Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.10.08 10:44:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17859211
eSign 1.0

जावेंगी। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेंगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

3. आप द्वारा मैकेनिकल कार पार्किंग हेतु 09 लाख रूपये की बैंक गारन्टी (मुख्य प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, ए–34, गुरू नानक मार्ग, मोती डूंगरी स्कीम, तिलक नगर, राजापार्क, जयपुर) नम्बर 0649NDDG00004326 Dated 23.07.2025 की वैद्यता अवधि दिनांक 22.07.2028 & Claim Expiry 22.07.2028 का क्लेम अधिवास प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात किया जावेंगा।
4. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (06 मानचित्र)

भवदीय,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त जोन–08, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (06 मानचित्र) संलग्न कर लेख है कि भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.1 (बहुमंजिला भवनों हेतु) के क्रम में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाऐं तैयार किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. उपायुक्त राजस्व–प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6()/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
7. मुख्य प्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, ए–34, गुरू नानक मार्ग, मोती डूंगरी स्कीम, तिलक नगर, राजापार्क, जयपुर द्वारा मैकेनिकल कार पार्किंग हेतु 09 लाख रूपये की बैंक गारन्टी 0649NDDG00004326 Dated 23.07.2025 की वैद्यता अवधि दिनांक 22.07.2028 & Claim Expiry 22.07.2028 तक हैं। अतः जविप्रा से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रकरण में बैंक गारन्टी लौटाई जावें।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Ankur Dadheech
Designation: Additional Chief town Planner
Date: 2025.10.08 10:44:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17859211
eSign 1.0

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

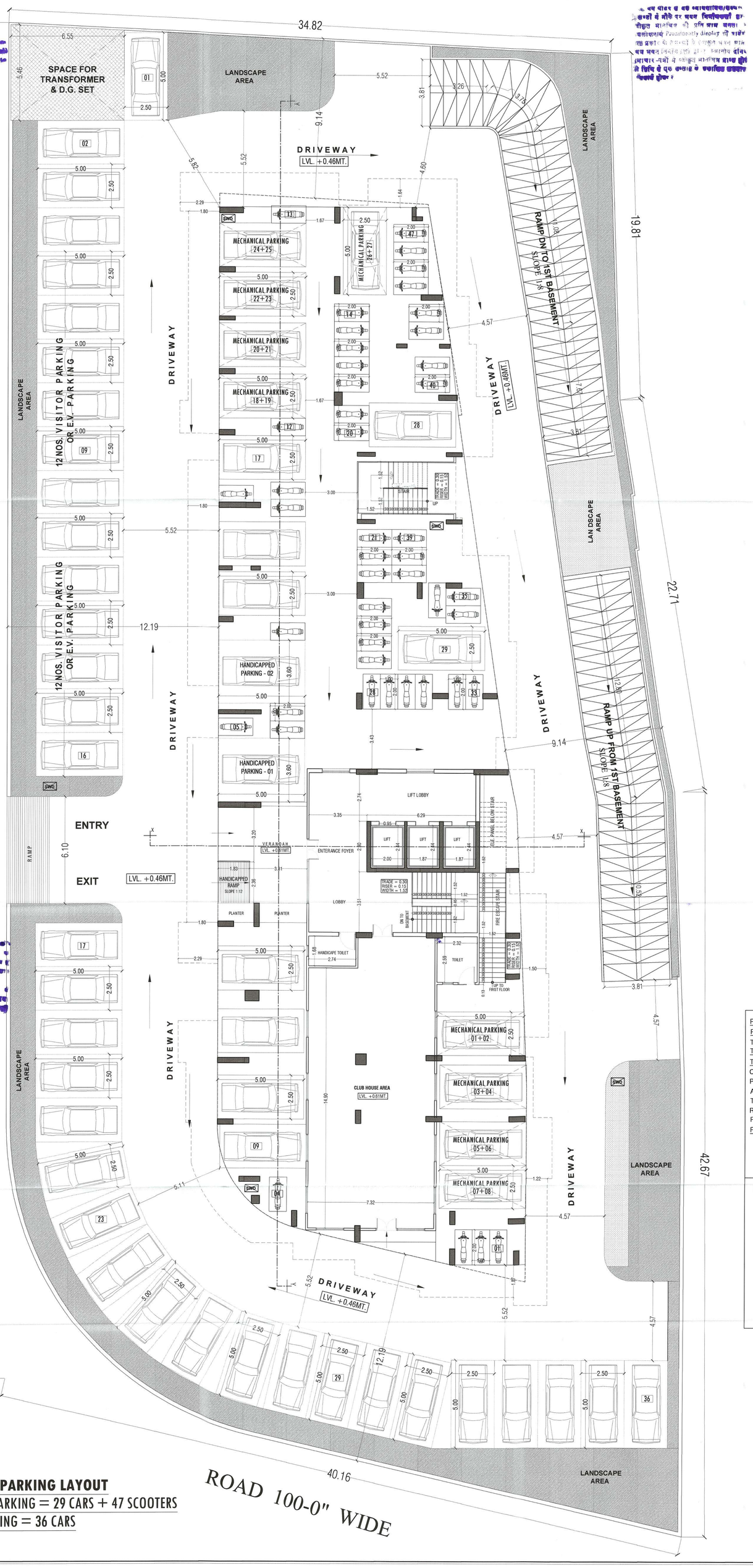

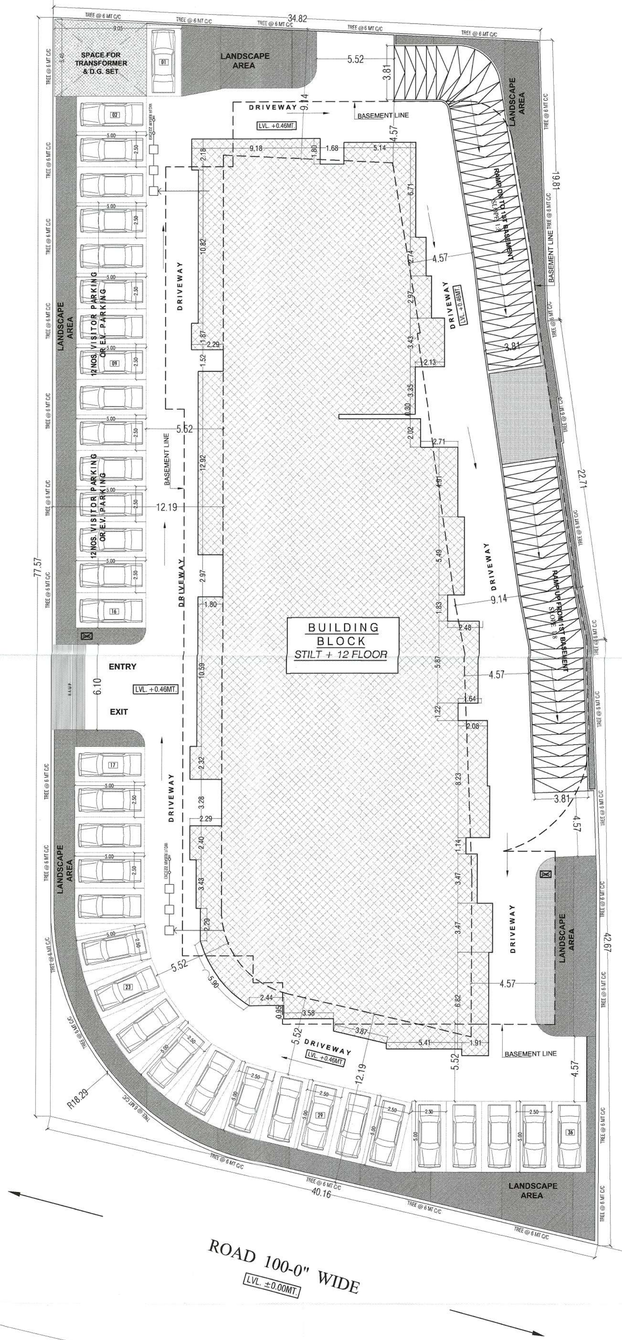

SITE PLAN
1:200

ROAD 100-0" WIDE
LVL. ±0.00MT.

PLOT AREA = 3597.25 SQ.YD = 3007.73 SQ.MT.
PERMISSIBLE B.A.R. = 2.0
THEN PER. B.A.R. AREA = 2.0 X 3007.73 = 6015.46 SQ.MT.
TOTAL CONSUMED B.A.R. AREA = 13155.23 SQ.MT.(4.37%)
THEN EXTRA PURCHASABLE B.A.R. AREA = 13155.23 - 6015.46 = 7139.77 SQ.MT.
CONSUMED GROUND COVERAGE = (1076.22 /3007.73)X100 = 35.78%
PERMISSIBLE MAXIMUM BUILDING HEIGHT = 57.19 MT
ACHIEVED BUILDING HEIGHT = 0.61(PLINTH)+5.03 (STILT)+36.48(1ST TO 12TH FLOOR)+7.75 (MACHINE ROOM) = 49.87 MT
TOTAL PROVIDED COMMUNITY/FACILITY AREA = 519.68 MT. (3.95%)
REQUIRED LANDSCAPE AREA (10%) = 3007.73 X 10% = 300.77 SQ.MT.
PROVIDED LANDSCAPE AREA = 313.12 SQ.MT. (10.41%)
REQUIRED PARKING :-
PARKING FOR RESIDENTIAL = 13155.23/115 = 114.39 E.C.U.
ADD 10% VISITORS PARKING = 114.39 X 1.10 = 125.82 E.C.U. SAY 126 E.C.U.
75% REQUIRED CAR PARKING = 126 X 0.75 = 94.50 E.C.U. SAY 95 CARS
25% REQUIRED SCOOTERS PARKING = 126 X 0.25 = 31.50 E.C.U. SAY 95 SCOOTERS

PROVIDED PARKING :-
PARKING ON STILT FLOOR:-
CARS = 25 nos (20 SURFACE+9 MECH.) = 29 E.C.U.
SCOOTERS = 47/3 = 15.67 E.C.U.
PARKING ON OPEN AREA:-
CARS = 36 nos = 36 E.C.U.
PARKING IN UPPER BASEMENT:-
CARS = 27 nos = 27 E.C.U.
SCOOTERS = 48/3 = 16 E.C.U.
PARKING IN LOWER BASEMENT:-
CARS = 42 nos = 42 E.C.U.
TOTAL PROVIDED PARKING = 29 + 15.67 + 36 + 27+ 16 +42 = 165.67 E.C.U.(134 CARS & 95 SCOOTERS)

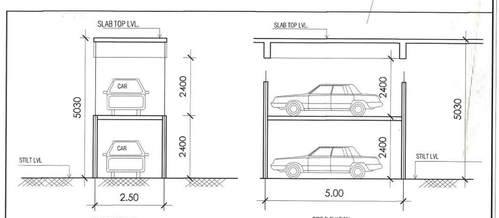

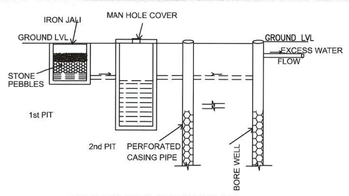

HARVESTING PIT SECTION

S. NO.	FLOOR	BLOCK AREA SQ.MT.	DEDUCTION CUT-OUTS	GROSS BUILT-UP SQ.MT.	DEDUCTION FIRESCAPE	LIFT WELL	CHHAJAS	OTHERS	B.A.R. SQ.MT.
01	2ND BASEMENT	1632.82	---	1632.82	---	---	---	1632.82(parking floor)	---
02	1ST BASEMENT	1700.34	89.90	1610.44	---	---	---	1610.44(parking+STP)	---
03	STILT FLOOR	938.52	---	938.52	17.30	13.84	---	666.79(parking)	240.59
04	FIRST FLOOR	1118.60	---	1118.60	16.96	13.84	10.10	1.48(services)	1076.22
05	SECOND FLOOR	1118.60	---	1118.60	16.96	13.84	10.10	1.48(services)	1076.22
06	THIRD FLOOR	1118.60	---	1118.60	16.96	13.84	10.10	1.48(services)	1076.22
07	FOURTH FLOOR	1118.60	---	1118.60	16.96	13.84	10.10	1.48(services)	1076.22
08	FIFTH FLOOR	1118.60	---	1118.60	16.96	13.84	10.10	1.48(services)	1076.22
09	SIXTH FLOOR	1118.60	---	1118.60	16.96	13.84	10.10	1.48(services)	1076.22
10	SEVENTH FLOOR	1118.60	---	1118.60	16.96	13.84	10.10	1.48(services)	1076.22
11	EIGHT FLOOR	1118.60	---	1118.60	16.96	13.84	10.10	1.48(services)	1076.22
12	NINTH FLOOR	1118.60	---	1118.60	16.96	13.84	10.10	1.48(services)	1076.22
13	TENTH FLOOR	1118.60	---	1118.60	16.96	13.84	10.10	1.48(services)	1076.22
14	ELEVENTH FLOOR	1118.60	---	1118.60	16.96	13.84	10.10	1.48(services)	1076.22
15	TWELFTH FLOOR	1118.60	---	1118.60	16.96	13.84	10.10	1.48(services)	1076.22
16	TERRACE	61.72	---	61.72	---	---	---	61.72(mumty)	---
TOTAL				17666.70					13155.23

THEN TOTAL CONSUMED B.A.R. AREA = 13155.23 SQ.MT.

STILT FLOOR PARKING LAYOUT
COVERED CAR PARKING = 29 CARS + 47 SCOOTERS
OPEN CAR PARKING = 36 CARS

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. A IN KHASRA NO. 185,VILL. RAMSINGHPURA, URF. RAMPURA TEH. SANGANER,JAIPUR

SUBMISSION DRAWING SCALE :- 1 : 100

NORTH:- N

DRAWING TITLE - STILT FLOOR PARKING PLAN & SITE PLAN

OWNER
For Lalpuria Infra
Auth.Sign./Partner

ARCHITECT
ASHOK MISHRA Ph. 2229771
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
95, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR

अनुमोदित
उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
अधिकृत मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

RAMP DOWN FROM DRIVEWAY
SLOPE 1:8

RAMP DN TO 2nd BASEMENT
SLOPE 1:8

RAMP DN FROM DRIVEWAY
SLOPE 1:8

RAMP UP TO DRIVEWAY
SLOPE 1:8

RAMP UP FROM 2ND BASEMENT
SLOPE 1:8

DRIVEWAY

LIFT LOBBY

LIFT

S.T.P.
AS/DETAIL

CUT-OUT IN FLOOR FOR VENTILATION

RAMP DN FROM 1ST BASEMENT
SLOPE 1:8

RAMP UP TO 1ST BASEMENT
SLOPE 1:8

1ST/UPPER BASEMENT FLOOR PARKING LAYOUT
TOTAL NO. OF PARKING = 27 CARS + 48 SCOOTERS

2ND/LOWER BASEMENT FLOOR PARKING LAYOUT
TOTAL NO. OF PARKING = 42 CARS

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. A IN KHASRA NO. 185,VILL. RAMSINGHPURA, URF. RAMPURA TEH. SANGANER,JAIPUR

SUBMISSION DRAWING
SCALE :- 1 : 100

NORTH:-

DRAWING TITLE -
1ST & 2ND BASEMENT PARKING PLANS

OWNER
For Lalpuria Infra
Auth.Sign./Partner

ARCHITECT
ASHOK MISHRA
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
95, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR

...ssment issued are to be
...construction checked at plinth
...evel before proceeding to
...ther construction

...पर भवन के सभी व्यवसायिक/आवासीय...
...सीढ़ियों के नीचे पर भवन निर्माण...
...सीढ़ियों की ऊँचाई...
...सीढ़ियों की चौड़ाई...
...सीढ़ियों की संख्या...
...सीढ़ियों के बीच...
...सीढ़ियों के ऊपर...
...सीढ़ियों के नीचे...
...सीढ़ियों के बीच...
...सीढ़ियों के ऊपर...
...सीढ़ियों के नीचे...

अनुमोदित
उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SHEET NO. - 03

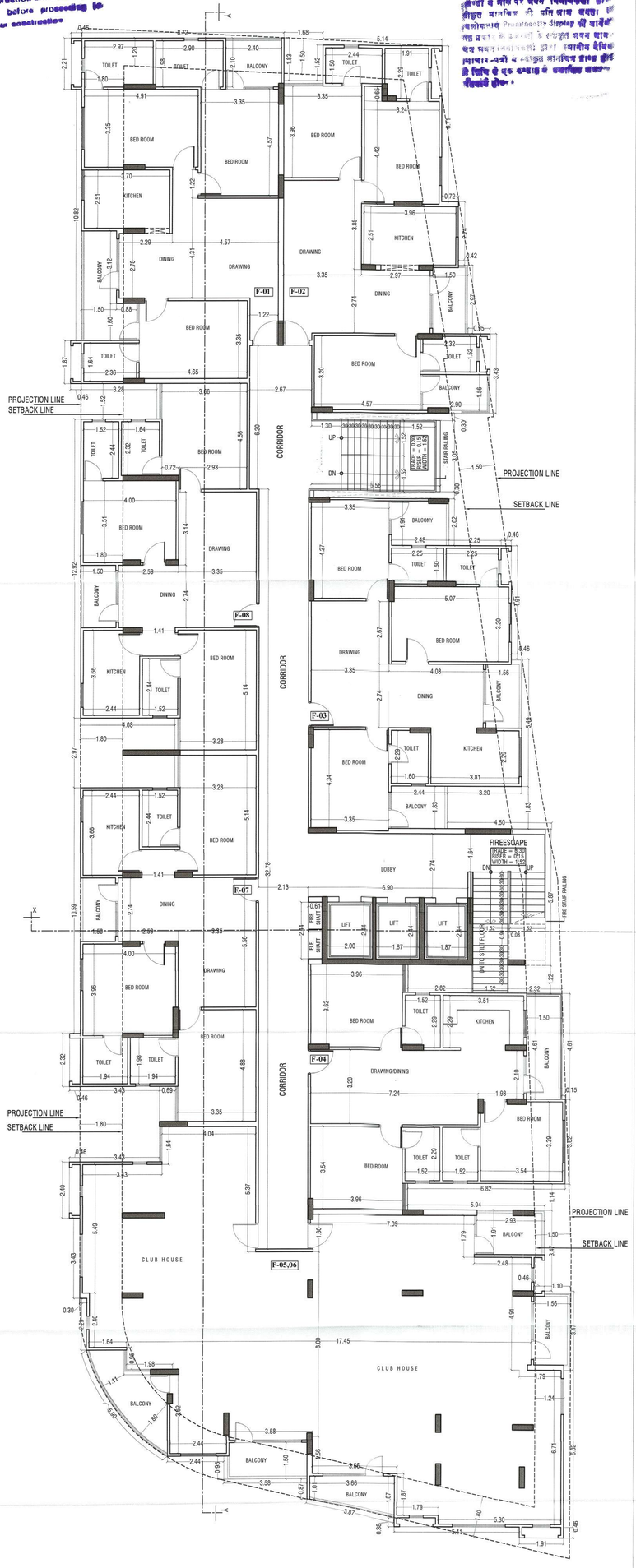

FIRST FLOOR PLAN

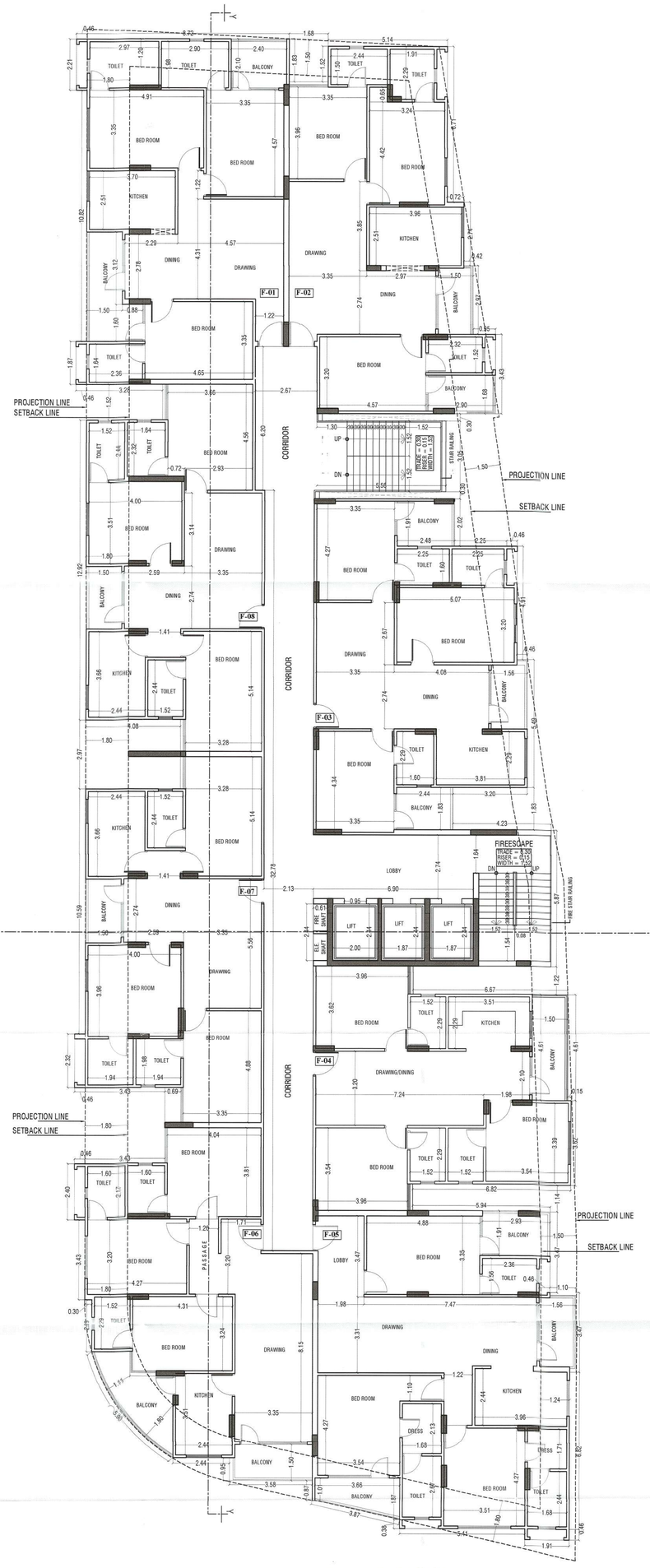

TYPICAL FLOOR PLAN
(2nd to 12th FLoor)

...पार्किंग का अनुमोदन किसी भी...
...केवलगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का...
...स्वामित्व-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही...
...इसमें किसी के स्वामित्व सम्बन्धित विवाद...
...ही प्रभावित होंगे।
...साथ किये गये अनुमोदित मानचित्रों के...
...अनुसार ही भवन निर्माण का कार्य...
...(STRUCTURE) का दायित्व...

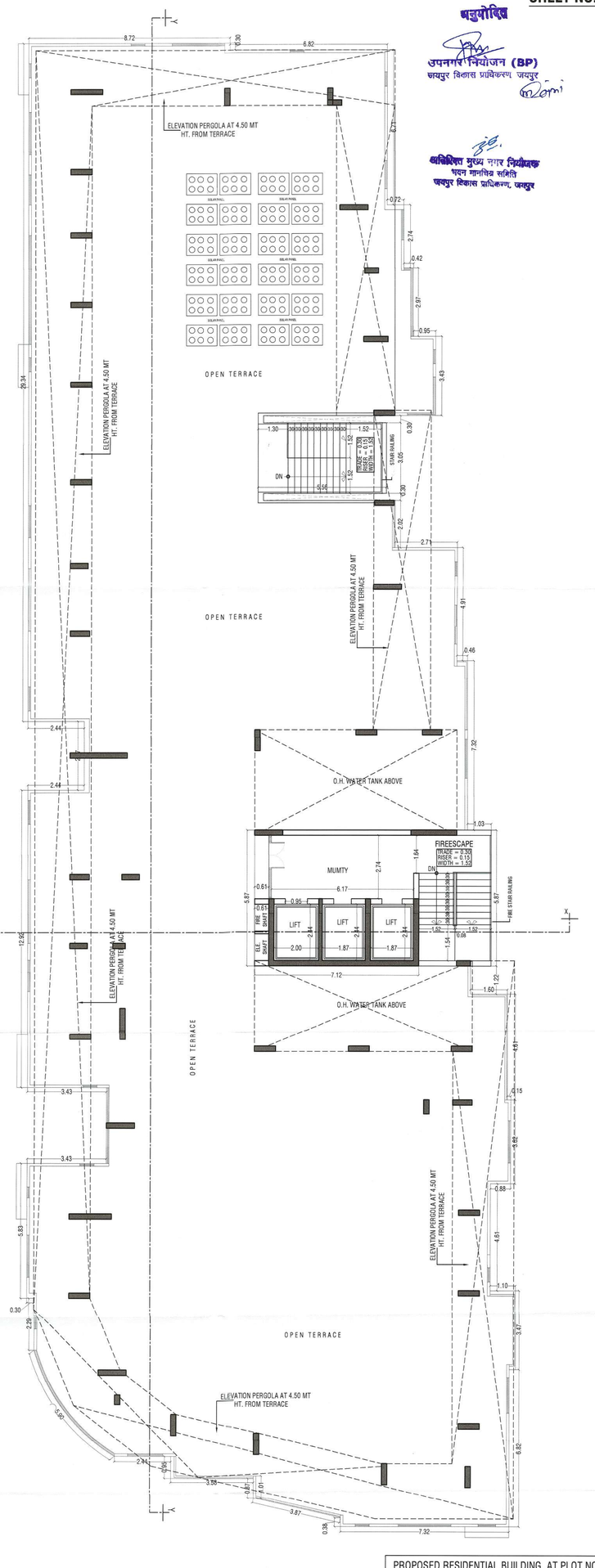

TERRACE FLOOR PLAN

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. A IN KHASRA NO. 185,VILL. RAMSINGHPURA, URF. RAMPURA TEH. SANGANER,JAIPUR

SUBMISSION DRAWING
SCALE :- 1 : 100

NORTH:- N

DRAWING TITLE - FIRST,TYPICAL & TERRACE FLOOR PLANS

OWNER

For Lalpuria Infra

Auth.Sign./Partner

ARCHITECT

ASHOK MISHRA Ph. 2229771
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
95, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR

SHEET NO. - 04

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर निर्यायक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

LEFT SIDE ELEVATION

FRONT SIDE ELEVATION

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. A IN KHASRA NO. 185,VILL. RAMSINGHPURA, URF. RAMPURA TEH. SANGANER,JAIPUR

SUBMISSION DRAWING
SCALE :- 1 : 100

NORTH:-

DRAWING TITLE -
LEFT & FRONT SIDE ELEVATION

OWNER
For Laipuria Infra
Auth. Signatory/Partner

ARCHITECT
ASHOK MISHRA Ph.:
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
95, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR

construction should get re-checked at plinth level before proceeding for other construction

ELEVATION PERGOLA AT 4.50 MT HT. FROM TERRACE

ELEVATION PERGOLA AT 4.50 MT HT. FROM TERRACE

ELEVATION PERGOLA AT 4.50 MT HT. FROM TERRACE

MACHINE ROOM
TOP LVL. +49.67 MT

WATER TANK TOP LVL. +47.12 MT

TERRACE FLOOR LVL. +42.12 MT

12TH FLOOR LVL. +39.08 MT

11TH FLOOR LVL. +36.04 MT

10TH FLOOR LVL. +33.00 MT

9TH FLOOR LVL. +29.96 MT

8TH FLOOR LVL. +26.92 MT

7TH FLOOR LVL. +23.88 MT

6TH FLOOR LVL. +20.84 MT

5TH FLOOR LVL. +17.80 MT

4TH FLOOR LVL. +14.76 MT

3RD FLOOR LVL. +11.72 MT

2ND FLOOR LVL. +8.68 MT

1ST FLOOR LVL. +5.64 MT

STILT FLOOR LVL. +0.61 MT

DRIVEWAY LVL. +0.46 MT

ROAD LVL. +0.00 MT

RIGHT SIDE ELEVATION

BACK SIDE ELEVATION

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अधिशासी मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. A IN KHASRA NO. 185,VILL. RAMSINGHPURA, URF. RAMPURA TEH. SANGANER,JAIPUR

SUBMISSION DRAWING
SCALE :- 1 : 100

NORTH:-

DRAWING TITLE -
RIGHT & BACK SIDE ELEVATION

OWNER
For Lalpuria Infra
Auth.Sign./Partner

ARCHITECT
ASHOK MISHRA
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
95, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR

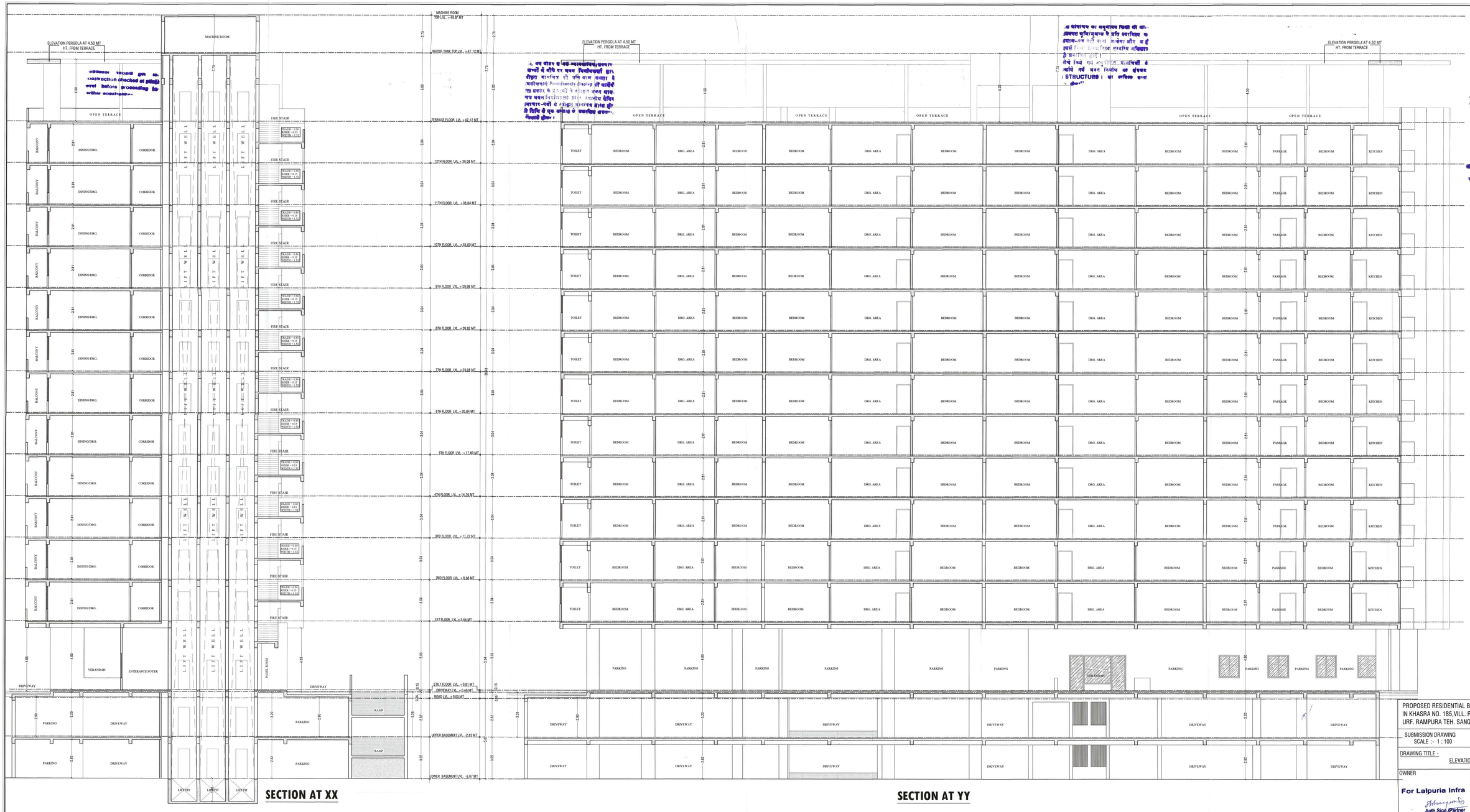

अनुमोदित

उपनगर नियोजन (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अधिकृत मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT PLOT NO. A IN KHASRA NO. 185,VILL. RAMSINGHPURA, URF. RAMPURA TEH. SANGANER,JAIPUR

SUBMISSION DRAWING
SCALE :- 1 : 100

NORTH:- N

DRAWING TITLE - ELEVATIONAL SECTIONS

OWNER
For Lalpuria Infra
Auth.Sign./Partner

ARCHITECT
ASHOK MISHRA Ph. 2229??
B.Arch., M.C.A.
C.A./91/13916
95, Shivaji Nagar, Civil Lines
JAIPUR